दिनांक 01.08.2015 को आयोजित उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति की प्रबन्धकारिणी समिति की 29वीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति की प्रबन्धकारिणी समिति की 29वीं बैठक दिनांक 01.08.2015 को पूर्वाह्न 11:30 बजे श्री एस॰ राजू अपर मुख्य सचिव/आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष, प्रबन्धकारिणी समिति की अध्यक्षता में होटल पैसिफिक, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति का विवरण एवं कार्यवृत्त निम्नवत है:–

उपस्थित सदस्यों/प्रतिनिधि एवं विशेष आमंत्री का विवरण :–

1. प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि श्री अर्जुन सिंह, अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव कृषि के प्रतिनिधि श्री समीर बंसल, अपर सचिव कृषि, उत्तराखण्ड शासन
3. मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड के प्रतिनिधि श्री विनोद कुमार, उप महाप्रबंधक नाबार्ड, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. महाप्रबन्धक उत्तरांचल सहकारी बैंक लि॰ देहरादून श्री राजेन्द्र प्रसाद।
5. श्री ए. के. राजपूत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपासक।
6. परियोजना निदेशक, UGVS एवं सदस्य सचिव प्रबन्धकारिणी समिति श्री विजय कुमार।

उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना के प्रबन्धक व अधिकारीगणों द्वारा उक्त बैठक में प्रतिभाग किया गया।

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति की प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य सचिव द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति की 29वीं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों व अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एजेन्डा के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बिन्दुवार बैठक का कार्यवत्त निम्नवत् है:–

कार्यसूची प्र॰स॰ 29.1: प्रबंधकारणी समिति की दिनांक 04.09.2014 को सम्पन्न 28वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सदस्य सचिव द्वारा प्रबन्धनकारिणी समिति की दिनांक 04.09.2014 को सम्पन्न हुई 28वी बैठक का कार्यवृत्त सदस्यगणों के समक्ष संज्ञानार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। सदस्यगणों द्वारा अवलोकन कर कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची प्र॰स॰ – 29.2: प्रबन्धकारिणी समिति की दिनांक 04.09.2014 को सम्पन्न 28वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में।

प्रबन्धकारिणी समिति की दिनांक 04.09.2014 को आयोजित 28वीं बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा इंगित बिन्दुओं पर कृत्त कार्यवाही/अनुपालन की स्थिति सदस्यों के संज्ञानार्थ व अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

सदस्यों द्वारा अनुपालन की स्थिति का अवलोकन कर संज्ञानार्थ लिया गया।

कार्यसूची प्र॰स॰ 29.3: वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (AWP&B) वर्ष 2015–16 में संशोधन का अनुमोदन।

सदस्यगणों के संज्ञान में लाया गया कि दिनांक 03.02.2015 को परियोजना संचालन समिति की चतुर्थ बैठक में वर्ष 2015–16 हेतु परियोजना के लिए रू॰142.75 करोड़ के सापेक्ष रू॰100.00 करोड़ का AWP&B स्वीकृत किया गया था उक्त में उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के अंतर्गत रू. 58.71 करोड़ का प्रावधान था।

इसी क्रम में सदस्यों को अवगत कराया गया कि माह अप्रेल 2015 मे मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अपर मुख्य सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा परियोजना कार्यो की प्रगति की समीक्षा के उपरान्त उक्त रू. 100 करोड़ को संशोधित कर रू॰151.32 करोड का प्रस्ताव तैयार किया गया जिस पर आइफैड द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है। परियोजना के उक्त बजट में उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति हेतु **रू॰77.19 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना का निम्नानुसार प्रावधान है: –**

Component Sub-Component	AWPB 2015-2016		Financing Plan (000)			
	Units	Amount (000)	GoUK	IFAD	Banks	Bene.
Food Security & Livelihood Enhancement						
Food Security & Scaling Up	35151	525348	27143	468721		29483
Access to Market	413	69505	6950	62554		
Innovation Linkages	28	34800	3480	31320		
Vocational Training	2300	53000	300	40200		12500
Project Management Unit	1205	73012	25583	47428		
Sub Total	**39097**	**755665**	**63457**	**650224**		**41983**
Project Management						
M&E and KM-UGVS	808	16315	2780	13534		
Sub Total	**808**	**16315**	**2780**	**13534**		
Grand Total	**39905**	**771980**	**66237**	**663758**		**41983**

समिति द्वारा उपरोक्तानुसार रू०77.19 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2015–16 का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची प्र०स० 29.4: वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (AWP&B) वर्ष 2014–15 के सापेक्ष किये गये achievement की स्थिति।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति हेतु संशोधित AWPB के Project Component में स्वीकृत Rs.18.33 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 31.03.2015 तक रू०14.21 करोड़ की उपलब्धि को निम्नानुसार समिति के सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया :–

Component Sub-Component	RAWPB 2014-15 Amount (000)	Achievement Amount (000)	Achievement %
Food Security & Livelihood Enhancement			
Food Security & Scaling Up	97486	82947	85.09
Access to Market	16435	8924	54.30
Innovation Linkages	5300	1807	34.09
Vocational Training	3650	2672	73.21
Project Management Unit	48957	39563	80.81
Sub Total	**171829**	**135913**	**79.10**
Project Management			
M&E and KM-UGVS	11485	6210	54.07
Sub Total	**11485**	**6210**	54.07
Grand Total	**183314**	**142123**	**77.53**

समिति उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के अंतर्गत परियोजना की वर्ष 2014–15 की प्रगति से उपरोक्तानुसार अवगत हुयी।

कार्यसूची प्र०स० 29.5: वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (AWP&B) वर्ष 2015–16 के सापेक्ष किये गये achievement की अध्यावधि स्थिति

समिति को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के AWP&B के Project Component में स्वीकृत रू० 77.19 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 30.07.2015 तक धनराशि रू०.12.79 करोड़ की प्रगति की गई है।

समिति परियोजना की वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रथम त्रैमास की उपरोक्तानुसार प्रगति से अवगत हुई तथा स्वीकृत बजट के सापेक्ष समय अन्तर्गत उपलब्धि प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। विशेष रूप से रेखीय विभाग/बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे प्रोजेक्टस् की समयबद्ध प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र को उपलब्ध कराने के निर्देश समिति द्वारा दिये गये।

(कार्यवाही– परियोजना निदेशक–UGVS एवं रेखीय विभाग/बोर्ड)

कार्यसूची प्र॰स॰ 29.6: उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति की वित्त एवं प्रशासनिक नियमावली के Chapter VIII के Schedule II की बिन्दु सं0 17 में संशोधन

सदस्य सचिव द्वारा समिति के सदस्यगों के संज्ञान में लाया गया कि UGVS के मुख्यालय स्तर पर गतिविधियों को सम्पादिन किये जाने हेतु विभिन्न विभागों, बोर्ड एवं संस्थाओं के साथ अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के क्रम में अनुबन्ध में निहित शर्तो की legal vetting किये जाने तथा कोर्ट केसों में पैरवी हेतु अधिवक्ता से सलाह/सेवाएं ली जाती है जिसमें परियोजना निदेशक को मात्र रू॰5000 का वित्तीय अधिकार है जबकि सामान्यतया व्यय रू. 5000 से अधिक होंता है।

समिति द्वारा चर्चा उपरान्त परियोजना निदेशक को एक बार में रू. 50000 (पचास हजार मात्र) का वित्तीय अधिकार प्रदान करते हुए UGVS के वित्त एवं प्रशासनिक नियमावली के Chapter VIII के Schedule II की बिन्दु सं0 17 में Fixation of fee of legal advisor में तद्नुसार संशोधन करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– वित्त प्रबंधक –UGVS)

कार्यसूची प्र॰स॰ 29.7: समिति के कार्मिको के भविष्य निधि, टी॰डी॰एस॰ एवं अन्य सरकारी देयकों के Online भुगतान हेतु Net banking सुविधायुक्त खाता खोलने हेतु अनुमोदन

सदस्य सचिव द्वारा माननीय सदस्यो के संज्ञान मे लाया गया कि समिति के कार्मिको के भविष्य निधि, टी॰डी॰एस॰ एवं अन्य सरकारी देयकों को केवल Online भुगतान के द्वारा ही जमा कराया जाना अनिवार्य किया गया है। अतः उक्त देयकों का भुगतान online ही किया जाना है। वर्तमान मे समिति द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की इन्दिरानगर शाखा मे बचत खाता संचालित किया जा रहा है, जिसमे Net banking की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इस क्रम में समिति द्वारा Net banking सुविधायुक्त एक खाता खोला जाने के लिए परियोजना निदेशक, UGVS को अधिकृत किया गया जिसका संचालन परियोजना निदेशक एवं वित्त प्रबन्धक, UGVS के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

कार्यसूची प्र॰स॰ 29.8: आईफैड सुपरविजन मिशन द्वारा दिनांक 06 अप्रैल से 18 अप्रैल, 2015 के मध्य परियोजना के रिव्यू उपरान्त दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को प्रेषित Aide Memoire पर चर्चा।

आईफैड सुपरविजन मिशन द्वारा दिनांक 06 अप्रैल से 18 अप्रैल, 2015 के मध्य परियोजना के रिव्यू उपरान्त दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को उपलब्ध कराये गये Aide Memoire में उल्लिखित Agreed Action बिन्दु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये। **समिति तद्नुसार अवगत हुयी।**

कार्यसूची प्र॰स॰ 29.9: परियोजनान्तर्गत गठित होने वाले असहाय उत्पादक समूहों की सदस्यता की पात्रता हेतु संशोधित मानकों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि परियोजना द्वारा Vulnerable Producer Group (VPG)/असहाय उत्पादक समूहों की पात्रता के सम्बन्ध में पूर्व में **उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति की 28 वीं प्रबन्धकारिणी समिति बैठक के प्रस्ताव संख्या 28.7** के अनुसार प्रस्तावित मानकों पर स्वीकृति प्राप्त की गई थी। अनुमोदनोपरान्त प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन कार्यालय एवं तकनीकी संस्थाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर इन समूहों का गठन कार्य प्रारम्भ किया गया। स्थानीय स्तर पर असहाय उत्पादक समूहों के गठन कार्य में तय मानकों के अनुसार प्रभागीय कार्यालय एवं तकनीकी संस्था द्वारा आ रही बाध्यता/समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया, साथ ही इन मानकों में शिथिलता लाने की बात उठाई गई। इस सम्बन्ध में माह अप्रैल 2015 में आये IFAD Supervision Mission द्वारा भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह बात सामने आई थी कि समूहों में महिला के साथ पुरूषों की भी भगीदारी विपणन एवं तकनीकी पहलुओं से अत्यधिक महत्वपूर्ण है अतः चर्चा उपरान्त मिशन द्वारा समूहों के गठन के सम्बन्ध में महिलाओं के साथ–साथ पुरूषों को समूह में जोड़ने की आवश्यकता पर विशेष ज़ोर दिया गया।

उपरोक्त के क्रम में 28वीं प्रबन्धकारिणी समिति में अनुमोदित असाहय उत्पादक समूहों के गठन के मानकों में आने वाले सदस्यों में पुरूषों को सम्मिलित करने के संबंध में **अपर मुख्य सचिव/आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष प्रबन्धकारिणी समिति,** UGVS से पत्रावली पर **दिनांक 28 मई 2015** को निम्नानुसार मानकों में प्रस्तावित संशोधन पर अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है :–

28वीं प्रबन्धकारिणी समिति बैठक में अनुमोदित मानक	मानकों में प्रस्तावित संशोधन
1. अन्त्योद्य परिवार की महिला।	1. अन्त्योद्य परिवार की महिला/पुरूष।
2. भूमिहीन परिवार की महिला।	2. भूमिहीन परिवार की महिला/पुरूष।
3. विधवा।	3. विधवा।
4. विकलांग महिला।	4. विकलांग महिला/पुरूष।
5. अनु॰ जाति, जनजाति की महिला।	5. अनु॰ जाति, जनजाति की महिला/पुरूष।

इस क्रम में समिति द्वारा उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए असहाय उत्पादक समूह (VPG) समूह में सदस्यता की पात्रता के उपरोक्तानुसार संशोधित मानकों पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

सदस्यगणों को यह भी अवगत कराया गया कि असहाय उत्पादक समूह के मानकों में उपरोक्त संशोधन से अधिकांश उत्पादक समूहों के कुछ सदस्य असहाय उत्पादक समूह की पात्रता में आ गये है तथा कम संख्या होने के क्रम में उनका अलग असहाय उत्पादक समूह नहीं बनाया जा सकता। ऐसी स्थिति में उनको उत्पादक समूह में बनाये रखते हुए असहाय उत्पादक समूह की पात्रता के लाभ के रूप में सीड कैपिटल रू॰800.00 प्रतिवर्ष (02 वर्षों हेतु) संबंधित सदस्यों को दिया जाना उचित रहेगा।

समिति द्वारा उपरोक्त पर चर्चा उपरात अनुमादन प्रदान किया गया।

<u>कार्यसूची प्र॰स॰ 29.10</u>: उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति के अन्तर्गत एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के त्रैमासिक न्यूजलैटर का विमोचन

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति के अन्तर्गत गतिविधियों पर आधारित अभिनव कार्यो की सफल कहानियों को शामिल कर इस वित्तीय वर्ष में त्रैमासिक प्रथम न्यूजलैटर परियोजना क्षेत्र के हितभागियों से साझा करने हेतु प्रकाशित कराया गया है। उक्त को अध्यक्ष महोदय द्वारा विमोचन हेतु प्रस्तुत किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त त्रैमासिक न्यूजलैटर (संवाद) का विमोचन समिति के समक्ष किया गया। त्रैमासिक न्यूज़लैटर का अवलोकन करने के उपरान्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा परियोजना क्षेत्र में की जा रही गतिविधियों की सराहना की गई।

<u>कार्यसूची प्र॰स॰ 29.11</u>: अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से निम्नांकित अतिरिक्त बिन्दु समिति के समक्ष रखे गये

29.11.1 राज्य स्तरीय Apex Organization-(HILANS/हिलान्स) Highland Innovative Livelihoods Ascending Nature Sustainability का गठन व सहयोग के संबंध में :–

समिति को अवगत कराया गया कि परियोजना वर्तमान में 70 फैडरेशन को सहयोग प्रदान करते हुए कार्य कर रही है तथा लाइवलीहुड क्लेटिवस के रूप में उत्पादक समूह संगठित हो रहें है। इस प्रकार लगभग 200 फैडरेशनों/लाइवलीहुड क्लेटिवस के माध्यम से भविष्य में परियोजना के withdrawal के उपरान्त गतिविधियां समुदाय के द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। फैडरेशनों/लाइवलीहुड क्लेटिवस को निरन्तर Backward व Forward linkages स्थापित करने (Market Access सहित) तथा Innovative Livelihoods के क्षेत्र में Product Development एवं Value Addition इत्यादि की सेवायें प्रदान करने के लिए एक राज्य स्तरीय Apex Organization की आवश्यकता है जिसका स्वरूप Producer Company/Co-operative/Society के रूप में हो सकता है। जिसमें सभी इच्छुक उत्पादक/फैडरेशन की भागीदारी हो सकेगी तथा जिसका संचालन भी समुदाय व सामुदायिक संस्थाओं द्वारा representative governing board के माध्यम से किया जायेगा। एक अभिनव एक्शन रिसर्च की Piloting के अन्तर्गत परियोजना द्वारा उक्त Apex Organization को सीमित सहयोग प्रदान किया जायेगा, जो कि भविष्य में समुदाय द्वारा self sustainable होगा।

(Hilans/हिलान्स) Highland Innovative Livelihoods Ascending Nature Sustainability की जानकारी के संबंध में ब्रोशर भी सदस्यगणों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा चर्चा उपरान्त उपरोक्तानुसार Apex Organization का गठन व सहयोग करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा वर्तमान फैडरेशन/Livelihoods collectives से चर्चा उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु परियोजना निदेशक, UGVS को अधिकृत किया गया।

29.11.2 दिनांक 20–22 अगस्त 2015 के मध्य IFAD Implementation Support Mission के भ्रमण के संबंध में।

समिति को अवगत कराया गया कि परियोजना की गतिविधियों की समीक्षा करने हेतु दिनांक 20 से 22 अगस्त 2015 के मध्य IFAD Implementation Support Mission उत्तराखण्ड के भ्रमण पर रहेगा। Mission का Term of Reference (ToR) समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति तद्नुसार IFAD Implementation Support Mission के भ्रमण कार्यक्रम से अवगत हुई।

उपरोक्त के साथ ही सदस्य सचिव, UGVS द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभी सदस्यों तथा उपस्थितगण प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न होने की घोषणा की गयी।

(श्री एस.राजू)
अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष, प्रबन्धकारिणी समिति, UGVS

(विजय कुमार)
सदस्य सचिव,
प्रबन्धकारिणी समिति, UGVS

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (IFAD- ILSP)

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति (UGVS)

(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

216, पंडितवाड़ी, फेज– II, देहरादून, उत्तराखण्ड, दूरभाष 0135–2773800

पत्रांक 669/29th MC/2015–16 दिनांक 10-08-2015

प्रतिलिपि :– निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, प्रबन्धकारिणी समिति, UGVS के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, उद्योग विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
9. प्रबन्ध निदेशक, उपासक।
10. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि., देहरादून, उत्तराखण्ड।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपासक।

10/08/2015

(विजय कुमार)
सदस्य सचिव,
प्रबन्धकारिणी समिति, UGVS